राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 335/2010

पूरण सिंह छीपा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.03.2010
आदेश की दिनांक : 22.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर अपीलार्थी की पूर्व की 10 वर्ष की मिलट्री (इण्डियन नेवी) सेवा की अवधि की गणना करते हुए पेंशन एवं पेंशनर्स लाभ एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मिलट्री सेवा (इण्डियन नेवी) में एक्टिंग इंजन रूम आर्टिफिसर ग्रेड चतुर्थ के पद पर दिनांक 20.04.1971 को हुई थी। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी उक्त सेवा से सेवानिवृत्त होकर दिनांक 30.04.1981 को कार्यमुक्त हुआ, परंतु उसकी उक्त सेवा अवधि की गणना पेंशन लाभ आदि में नहीं की गई और उसे रूपये 8,570/– ग्रेच्युटी का लाभ दे दिया गया। अपीलार्थी आदेश दिनांक 29.03.1993 के द्वारा राजस्थान सैनिक बोर्ड में ग्रुप इंसपेक्टर के पद पर नियुक्त हुआ था। अपीलार्थी ने उक्त सेवा की अवधि पेंशन आदि में जोडने के लिए अभ्यावेदन दिया, परंतु उसके अभ्यावेदन को आदेश दिनांक 10.01.2003 के द्वारा

खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.01.2010 को पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसने 10 वर्ष की मिलट्री सेवा की अवधि को जोड़ने हेतु अनुरोध किया कि वह दिनांक 31.01.2010 को सेवानिवृत्त हो जा रहा है। परंतु अभ्यावेदन पर विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया और अपीलार्थी दिनांक 31.01.2010 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया, उसे उक्त सेवा अवधि का कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलार्थी की पूर्व की 10 वर्ष की मिलट्री (इण्डियन नेवी) सेवा की अवधि की गणना करते हुए पेंशन एवं पेंशनर्स लाभ एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी ने भारतीय नौसेना अवधि अप्रेल, 1971 से मार्च 1981 तक होनी दर्शायी है और विभाग में अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 29.03.1993 द्वारा मार्च, 1993 में ग्रुप अनुदेशक के पद पर की गई थी, जिसकी पालना में दिनांक 19.04.1993 को कार्यग्रहण किया और इस प्रकार सैनिक सेवा एवं सिविल सेवा में 11 वर्ष 11 माह 18 दिवस की अवधि का व्यवधान है। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियमों में सैनिक सेवा व सिविल सेवा के बीच की व्यवधान की अवधि अधिकतम 2 वर्ष तक ही माफ किए जाने के प्रावधान हैं। चूंकि अपीलार्थी के व्यवधान की अवधि लगभग 12 वर्ष है। इसलिए नियमानुसार पेंशन परिलाभों में नहीं जोडी जा सकती है। अपीलार्थी को उसकी सिविल सेवा हेतु देय समस्त पेंशन परिलाभ नियमानुसार समय पर स्वीकृत किए जा चुके हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मिलट्री सेवा (इण्डियन नेवी) में एक्टिंग इंजन रूम आर्टिफिसर ग्रेड चतुर्थ के पद पर दिनांक 20.04.1971 को हुई थी। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी उक्त सेवा से सेवानिवृत्त होकर दिनांक 30.04.1981 को कार्यमुक्त हुआ। अपीलार्थी आदेश दिनांक 29.03.1993 के द्वारा राजस्थान सैनिक बोर्ड में ग्रुप इंसपेक्टर के पद पर नियुक्त हुआ था। 10 वर्ष की मिलट्री सेवा की अवधि को नहीं जोडा गया और अपीलार्थी दिनांक 31.01.2010 को सेवानिवृत्त हो गया। जहां तक राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति पश्चात् उसके पेंशन परिलाभों में 10 वर्ष की मिलट्री

(इण्डियन नेवी) सेवा अवधि नहीं जोडे जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियमों में सैनिक सेवा व सिविल सेवा के बीच की व्यवधान की अवधि का निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :–

> *"19. Counting of Military Service rendered before Civil Employment - 1(b)(iii) when an order is passed under this rule allowing previous Military Service in count as part of service qualifying for civil pension, the order shall be deemed include the condonation of interruption in service, if any, in the Military Service and between the Military and Civil Service provided it does not exceed two years."*

अपीलार्थी सैनिक सेवा से दिनांक 30.04.1981 को कार्यमुक्त हुआ और आदेश दिनांक 29.03.1993 के द्वारा राजकीय सिविल सेवा में नियुक्त हुआ। इस प्रकार सैनिक सेवा एवं सिविल सेवा में 11 वर्ष 11 माह 18 दिवस की अवधि का व्यवधान है। उक्त राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियमों में सैनिक सेवा व सिविल सेवा के बीच की व्यवधान की अवधि अधिकतम 2 वर्ष तक ही माफ किए जाने के प्रावधान हैं। चूंकि अपीलार्थी के व्यवधान की अवधि लगभग 12 वर्ष है। इसलिए नियमानुसार पेंशन परिलाभों में नहीं जोडी जा सकती है। अतः अपीलार्थी का तर्क बलहीन होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य